(38)

(28)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**प्रशासकीय सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2681-PBR/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–5–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 13/अ–74/12–13

नन्नूलाल पुत्र मथुरालाल लोधा
निवासी ग्राम हिलगना तहसील व
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

**विरूद्ध**

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी पेनल अभिभाषक, अनावेदक शासन

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांकः 15/1/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 13/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 6–5–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री नन्नूलाल पुत्र मथुरालाल निवासी हिलगना तहसील गुना द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115–116 के तहत कलेक्टर न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम हिलगना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 17/2/3क मिन 1 रकबा 0.065 हेक्टेयर कम्प्यूटर खसरे में

विक्रय निषेध दर्ज है जिसे समाप्त किये जाने हेतु दिया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण की जॉच तहसीलदार परगना गुना से करवाई गई । तहसीलदार गुना द्वारा प्रकरण की जॉच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 14–9–12 को कलेक्टर की ओर भेजा। तहसीलदार गुना द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि सन् 2008–09 में खातेदार मथुरालाल पुत्र भमरलाल फोत होने से सर्वे नम्बर 17/2/3 क मिन रकबा 0.065 हेक्टेयर पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 43 दिनांक 1–3–09 के आधार पर कस्तूरीबाई वेवा मथुरालाल, नन्नूलाल, भगवानसिंह चम्पालाल गनपतसिंह एवं गीताबाई पिता मथुरालाल के नाम फोती नामान्तरण स्वीकृत किया जाकर अभिलेख में दर्ज है। यह भूमि खसरा संवत् 2013 अर्थात् 1956–57 लगायत वर्ष 2000–01 तक के खसरे में विक्रय निषेध दर्ज नहीं है अतः वर्ष 2001–02 में खसरे में विक्रय निषेध होना पाया गया है किन्तु इस दर्ज करने बावत् किसी सक्षम प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया गया है एवं तहसीलदार गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–6–अ/03–04 आदेश दिनांक 1–7–2004 से उक्त विक्रय निषेध शब्द इन्द्राज दुरूस्ती के तहत हटा दिया। वर्तमान पटवारी अभिलेख में विक्रय निषेध दर्ज नहीं है । कम्प्यूटर खसरे में विक्रय निषेध दर्ज है । कलेक्टर जिला गुना द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन पर विचार करते हुये दिनांक 6–5–2013 को आदेश पारित किया कि तहसीलदार गुना के प्रकरण क्रमांक 11/अ–6–अ/03–04 में पारित आदेश दिनांक 1–7–04 जिससे उक्त भूमि पर से विक्रय निषेध शब्द बिलोपित किया गया है निरस्त किया एवं ग्राम हिलगना स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 17/2 रकबा 1.568 हेक्टेयर भूमि से संबंधित प्रकरण में पटटा बंटन में अनियमितता पाये जाने एवं विधि विरूद्ध भूमि का विक्रय कर दिये जाने के कारण पृथक से इस न्यायालय में स्वमेव निगरानी में पंजी किया जाने के आदेश दिये । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2013 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि कलेक्टर जिला गुना आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का

अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला गुना को प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं बताया कि इस प्रकरण में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 गुना द्वारा आदेश एवं डिक्री दिनांक 28–9–1991 पारित की है जिसमें ग्राम हिलगना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 17/2 रकबा 1.568 हेक्टेयर में हिस्सा 1/4 का भूमिस्वामी वादी कमरलाल पुत्र ग्यारसीलाल को घोषित किया गया है । विवादित भूमि कमरलाल पत्र ग्यारसीलाल के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी जिसे पंजीकृत विक्रय पत्र से आवेदक नन्नूलाल के पिता मथुरालाल द्वारा दिनांक 2–6–11 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया । इस प्रकार आवेदक विवादित भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर मालिक है । तर्क में यह भी बताया कि तहसीलदार गुना द्वारा प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि खसरा सम्वत् 2013 अर्थात् सन् 1956–57 लगायत वर्ष 2000–01 तक के खसरे में विक्रय निषेध दर्ज नहीं है । वर्ष 2001–02 के खसरे में विक्रय निषेध दर्ज होना पाया गया किन्तु यह प्रविष्टी किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से नहीं की गई । इस प्रकार प्रमाणित है कि जब आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया हो तो ऐसी प्रविष्टि का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रह जाता है । प्रतिवेदन के विपरीत आदेश पारित नहीं किया जा सकता । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–13 निरस्त किया जाकर तहसीलदार गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–04 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है।

4– अनावेदक शासन की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क किये गये कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये है वे संहिता के प्रावधान अनुसार विधिनुकूल होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की यह आपत्ति कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं

दिया है कि पुष्टि अभिलेख से नहीं होती है । कलेक्टर के समक्ष आवेदक के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं तथा उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है । वर्तमान प्रकरण में खसरे में 'विक्रय से प्रतिबंधित' शब्द हटाने के विषय पर निराकरण होना है – भूमि के स्वत्व पर नहीं । आवेदक के अधिकाशं तर्क भूमि के स्वत्व को लेकर है जो इस प्रकरण की विषयवस्तु से संगत नहीं है । आवेदक ने किसी भी स्टेज पर इस तथ्य को नहीं अस्वीकारा है कि उक्त भूमि पूर्व में पटटे पर मिली थी तथा पटटे की भूमि होने के आधार पर ही खसरे में 'विक्रय निषेध' दर्ज किया गया है जिसको उचित मानते हुये कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को निगरानी में लेकर निरस्त किया है जिसमें कोई त्रुटि दिखलाई नहीं पड़ती है । जहॉ तक कलेक्टर द्वारा पटटा बंटन की अनियमितता तथा भूमि विक्रय की जॉच संबंधी बिन्दुओं पर स्वमेव निगरानी दर्ज करने के आदेश का प्रश्न है उसमें भी प्रथम दृष्टया आधार मिलने पर यह निर्णय लिया जाना स्पष्ट परिलक्षित है तथा आवेदक को संबंधित प्रकरण में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहेगा ।

6– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है।

( मनोज गोयल )
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.